शाखा रा 32 ...
अधीक्षक कमिश्नर

CF ₹ 20/-

17

R-1698-III/13

लक्ष्मणदास गंगवानी उम्र 78 वर्ष पिता स्व0 श्री खुशालदास
निवासी वार्ड क्र0 5 गायत्री मंदिर के पास उमरिया, तहसील
बांधवगढ, थाना व जिला उमरिया म0प्र0 ---------------पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म0प्र0शासन जरिये नूजूल विभाग उमरिया --------------उत्तरार्थी

श्री विष्णुकांत तिवारी
आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

2/3/2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

श्रीमान अति0 आयुक्त महोदय संभाग शहडोल द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 59/अपील/11-12 में पारित आदेश/फैसला दिनांक 13/12/12 के विरूद्धपुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू० राजस्व संहिता०

क्रमांक 1500
... पोस्ट द्वारा 22/4/13 को प्राप्त
... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर विनय करता है कि :-

मामलके के तथ्य

ग्राम छटन कैंप उमरिया की भूमि खसरा क्रमांक 1599/1 रकबा 12×6= 72 वर्गफिट पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लगभग 59वर्ष पूर्व निर्माण कर उसका उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा था । बाद में उक्त भूमि की स्थायी लीज हेतु एक प्रकरण क्रमांक 1976/अ§20§§1§/80-81 म0प्र0शासन विरूद्ध लक्ष्मणदास श्रीमान नजूल अधिकारी शहडोल के न्यायालय में चला था जिसमें दिनांक 20०2०85 को श्रीमान जिलाध्यक्ष शहडोल द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में 72वर्ग फिट भूमि की स्थायी लीज स्वीकृत की गई थी उक्त भूमि में बने हुए कमरे की मरम्मत कराते समय पड़ोसी अमीन अहमद द्वारा झूठी शिकायत किए जाने पर धारा 248 म0प्र0भू राजस्व संहिता के तहत प्र0पंजीबद्ध किया गया था तथा दिनांक 9०3०2005 को पुनरीक्षणकर्ता को अनुपस्थित मानते हुए 1500०00 रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये दिनांक 31०3०2005 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था जिससे व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रथम अपील श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी उमरिया के न्यायालय में की थी उक्त अपीलीय न्यायालय ने भी दिनांक 30०5०2009 को पुनरीक्षणकर्ता की प्रथम अपील निरस

..2

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

लक्ष्मण दास /शासन

प्रकरण कमांक निग0 1698–तीन/13 **जिला – उमरिया**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/4/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 59/अपील/11–12 आदेश दिनांक 13–12–2012 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम उमरिया खास नजूल की शासकीय भूमि खसरा नं0 1599/1 रकवा 12X6 वर्गफीट भूमि पर आवेदक दीवार से घेरकर मकान, दुकान, तैयार करने लगा । तहसीलदार बांधवगढ के द्वारा धारा– 248 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया तथा निर्माण कार्य स्थगित कर दिया । परन्तु आदेश दिनांक 21–10–2003 को नजूल पट्टा का प्रकरण लंबित होने के कारण प्रकरण की कार्यवाही स्थगित कर दी । जिसके विरूद्ध शिकायतकर्ता अमीन मोहम्मद द्वारा कलेक्टर, को निगरानी प्रस्तुत की । कलेक्टर, उमरिया ने प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुए, तहसीलदार बांधवगढ़ का आदेश दिनांक 21–10–2003 निरस्त कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसके पालन में तहसीलदार बांधवगढ़ दिनांक 31–03–2005 को आवेदक को बेदखल करते हुए 1500/– रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया। तहसीलदार बांधवगढ़ के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी उमरिया के न्यायालय में अपील की जिसे दिनांक 30–05–2009 को	

खारिज कर दिया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, शहडोल को प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, ने भी दिनांक 13–12–2012 को द्वितीय अपील निरस्त कर दी । इसके विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया।

आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि विचाराधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 50–60 वर्ष पूर्व से है । तथा नजूल अधिकारी के न्यायालय में स्थाई लीज हेतु लंबित आवेदक के प्रकरण क्रमांक 1976–अ/20(1)/80–81 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्थल निरीक्षण के समय मौके पर 6X11=66 वर्गफीट पर आवेदक का कब्जा दुकान के रूप में पाया गया । उसी प्रकरण में दिनांक10–02–85 को मौके पर 8X9=72 वर्गफीट निर्माण 1955 के बाद होना लिखा है । उसी प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 20–03–2005 के अनुसार कलेक्टर, द्वारा आवेदक के नाम पर 72 वर्गफीट भूमि की स्थाई लीज की स्वीकृति दी जा चुकी है । आवेदक के पक्ष में स्थाई लीज स्वीकृत होने के आदेश के पश्चात भी उसकी लीज की भूमि का भू भाटक नजूल तहसीलदार द्वारा जमा नहीं कराया गया । तथा अतिक्रमण मानकर उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश तथा जुर्माने का आदेश दे दिया गया । जबकि आवेदक तत्समय तथा आज भी उक्त भूमि का भू भाटक जमा कराने के लिये तैयार है । अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एवं अपर आयुक्त द्वारा भी आवेदक के इस बिन्दुपर कोई जांच किये बगैर ही अपील निरस्त कर दी । अतः अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश निरस्त किये जाय ।

अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13–12–2012 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपर आयुक्त, ने यह माना की आवेदक ने विचाराधीन भूमि पर वर्ष 1955 से उसके कब्जा के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, तथा लीज भी स्वीकृत नहीं की गई है । अतः आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर अपीलार्थी का कोई स्वत्व होना नहीं पाया तथा तहसीलदार नजूल एवं अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दी । आवेदक का तर्क है कि उसे दिनांक 20–03–2005 को कलेक्टर के द्वारा 72 वर्गफीट भूमि की स्थाई लीज की स्वीकृति दी जा चुकी है । अपर आयुक्त ने उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार नजूल को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि इस प्रकरण में पुनः जांच करें, क्या वास्तव में दिनांक 20–03–2005 को कलेक्टर, द्वारा लक्ष्मण दास के नाम पर विचाराधीन भूमि के ही 72 वर्गफीट पर स्थाई लीज की स्वीकृत दी गई थी अथवा नहीं इस संबंध में आवेदक को भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दे । तथा यदि वास्तव में विचाराधीन भूमि की ही स्थाई लीज स्वीकृत की गई थी तो उसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें तथा उसमें अतिरिक्त शेष भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें । यदि विचाराधीन भूमि की लीज आवेदक के पक्ष में स्वीकृत होना नहीं पाया जाता तो तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 09–03–2005 में उल्लिखित भूमि पर से आवेदक का अतिक्रमण हटाया जाए ।

सदस्य